"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019—ज्येष्ठ 24, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्रमांक एफ 6-9/2019/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय अध्यक्ष, श्री के. आर. पिस्दा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 09-05-2019 से 17-05-2019 तक (09 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 18 तथा 19 मई, 2019 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्रमांक एफ 10-3/2019/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 50 दिनांक 02-02-2017 एवं आदेश क्रमांक एफ 10-3/2019/16 अटल नगर, रायपुर दिनांक 12-02-2019 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजना "मिनीमाता कन्या विवाह योजना" को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 22 मई 2019

क्रमांक/एफ 7/20/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, (भापुसे-2004), पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 13 मई 2019 से दिनांक 17 मई 2019 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 11,12,18 एवं 19 मई 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती चंपावत आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती चंपावत को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चंपावत (भापुसे) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती नेहा चंपावत, (भापुसे-2004) पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. का चालू प्रभार श्री एस.सी.द्विवेदी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 22 मई 2019

क्रमांक एफ 7-26/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे 2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध/तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को दिनांक 10 जून 2019 से दिनांक 14 जून 2019 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09, 15, 16 एवं 17 जून 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मयंक श्रीवास्तव आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. मयंक श्रीवास्तव (भापुसे-2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध/तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना प्रबंध/तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. का चालू प्रभार श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, साईबर सेल/सीसीटीएनएस एवं एसीआरबी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 1 जून 2019

क्रमांक एफ 7-07/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रदीप गुप्ता (भापुसे 1995), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छ.ग. को दिनांक 17 सितम्बर 2019 से 28 सितम्बर 2019 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 29 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप गुप्ता आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि गुप्ता (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे 1995), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छ.ग. का चालू प्रभार श्री के. सी. अग्रवाल, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 जून 2019

क्रमांक 216/सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि./2019—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के पारित आदेश के पैरा क्रमांक 48 (ii) के अनुपालन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत निम्न ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया जाता है :—

राज्य के प्रत्येक जिले से 3 मॉडल ग्राम पंचायतों को अधिसूचित करने हेतु ग्राम पंचायत की सूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्रमांक (3)	माडल ग्राम पंचायत का नाम (4)	जनपद पंचायत (5)
1.	बालोद	1	तरौद	बालोद
		2	कचान्दुर	गुण्डरदेही
		3	अरमरीकला	गुरूर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	बलौदाबाजार	4	टीला	पलारी
		5	खर्वे	कसडोल
		6	पुरेना खपरी	बलौदाबाजार
3.	बलरामपुर	7	शंकरगढ़	शंकरगढ़
		8	बसन्तपुर	वाड्रफनगर
		9	पुरानडीह	रामचंद्रपुर
4.	बस्तर	10	कलचा	जगदलपुर
		11	कौड़ावण्ड	बकावण्ड
		12	बड़ेआरापुर	तोकापाल
5.	बेमेतरा	13	झालम	बेमेतरा
		14	राखी	साजा
		15	आन्दु	बेरला
6.	बीजापुर	16	नैमेड	बीजापुर
		17	आवापल्ली	उसूर
		18	मद्देड़	भोपालपटनम
7.	दंतेवाड़ा	19	मड़से	गीदम
		20	टेकनार	दंतेवाड़ा
		21	नकुलनार	कुआकोण्डा
8.	बिलासपुर	22	परसदा	तखतपुर
		23	भदौरा	मस्तुरी
		24	नगोई	बिल्हा
9.	धमतरी	25	डोमा	धमतरी
		26	मेघा	मगरलोड
		27	सांकरा	नगरी
10.	दुर्ग	28	ढौर	दुर्ग
		29	पथरिया (सह)	धमधा
		30	पतोरा	पाटन
11.	गरियाबंद	31	पोंड़	छुरा
		32	जेंजरा	फिंगेश्वर
		33	उरमाल	मैनपुर
12.	जांजगीर-चांपा	34	पेन्ड्री (जा.)	नवागढ़
		35	भुईगांव	पामगढ़
		36	सिंघरा	मालखरौदा
13.	जशपुर	37	गिरांग	जशपुर
		38	भण्डरी	कुनकुरी
		39	दुलदुला	दुलदुला
14.	कांकेर	40	जैसाकर्रा	चरामा
		41	कर्रामाड	दुर्गूकोन्दल
		42	मानिकपुर	नरहनपुर
15.	कबीरधाम	43	भागूटोला	कवर्धा
		44	तालपुर	स. लोहारा
		45	सेन्हाभाठा	पंडरिया
16.	कोंडागांव	46	बड़ेकनेरा	कोण्डागांव
		47	माकड़ी	माकड़ी
		48	तितरवंड	बड़ेराजपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	कोरबा	49	ढेलवाडीह	कटघोरा
		50	केंदई	पोडी उपरोड़ा
		51	तिवरता	पाली
18.	कोरिया	52	सोनहत	सोनहत
		53	खड़गवां	खडगवां
		54	चनवारीडांड़	मनेन्द्रगढ़
19.	महासमुंद	55	खट्टी	महासमुंद
		56	खटखटी	बसना
		57	केदुवा	सरायपाली
20.	मुंगेली	58	हथनीकला	पथरिया
		59	बीरगांव	मुंगेली
		60	साल्हेघोरी	लोरमी
21.	नारायणपुर	61	छोटेडोंगर	नारायणपुर
		62	ओरछा	ओरछा
		63	भेनुर	नारायणपुर
22.	रायगढ़	64	कोतरा	रायगढ़
		65	खोखरा	पुसौर
		66	हिर्री	बरमकेला
23.	रायपुर	67	पलौद	अभनपुर
		68	पथरी	धरसींवा
		69	बनचरौदा	आरंग
24.	राजनांदगांव	70	अंजोरा	राजनांदगांव
		71	अर्जुनी	डोंगरगांव
		72	लालबहादुर नगर	डोंगरगढ़
25.	सुकमा	73	ढोंढरा	कोन्टा
		74	रामाराम	सुकमा
		75	पाकेला	छिन्दगढ़
26.	सूरजपुर	76	बतरा	भैयाथान
		77	पस्ता	रामानुजनगर
		78	केशवनर	सूरजपुर
27.	सरगुजा	79	केशवपुर	अम्बिकापुर
		80	सोनतरई	सीतापुर
		81	बटवाही	लुण्ड्रा

उपरोक्त अधिसूचित मॉडल ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 के सभी प्रावधानों आगामी छः महीनों के अन्दर (माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश जारी होने की दिनांक (01-05-2019) से) पूर्ण करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2019

क्रमांक/4438/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बतरा प.ह.नं. 08	13.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खारून व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2019

क्रमांक/4441/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कुटेलामुड़ा प.ह.नं. 01	0.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खारून व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2019

क्रमांक 34/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कठली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.312 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/2क	0.016
345/2	0.141
368/4	0.036
194/1	0.004
275, 415/1	0.016
386	0.053
145/1	0.017
145/9	0.006
145/14	0.004
145/18	0.006
147/4	0.032
168/4	0.057
194/2	0.061
228/2	0.004
212/4	0.057
257/2	0.008
236	0.004
257/3	0.012
326/2, 368/2	0.020
408/2	0.105
278	0.061
275, 417/1	0.004
296/1	0.041
401/1	0.085
111/2	0.008
112/3	0.028
387	0.089
113/2ख	0.008
145/3	0.017
145/10	0.009
145/15	0.012
145/19	0.008
168/2	0.028
168/3	0.022
234/4	0.053
229/2	0.012
213	0.028
235/1	0.004
256	0.041
257/1	0.004
267	0.145
275/2	0.016
275/3	0.049
275, 418	0.004
298/1	0.065
408/1	0.008
111/3	0.020
194/3	0.024
113/2क	0.036
412/2	0.133
145/5	0.017
145/11	0.012
145/16	0.008
147/3	0.036
193	0.081
192	0.024
211/1	0.036
212/1	0.020
229/1	0.008
412/1	0.049
335/2	0.028
265, 266/1	0.117
273	0.012
276	0.008
275, 415/2	0.049
279/2	0.004
345/1	0.089
109/2क	0.012
112/1	0.012

(1)	(2)
234/3	0.049
368/3	0.089
113/2ग	0.012
145/7	0.017
145/13	0.012
145/17	0.005
230/3	0.004
165	0.129
230/5	0.020
211/2	0.045
212/3	0.041
233/1	0.028
235/2	0.008
413	0.024
265, 266/2	0.024
275/1	0.012
277	0.061
275, 416	0.061
407/3	0.125
295	0.024
401/3	0.032
328/1	0.012
331/2	0.049
344/5	0.049
369/1, 385/1	0.036
402/2	0.016
146/3	0.011
146/8	0.018
330	0.065
296/3	0.024
329/1	0.045
401/4	0.077
346/1	0.121
369/2, 385/2	0.012
113/5	0.008
146/4	0.008
228/1	0.008
296/2	0.012
401/5	0.077
329/2	0.045
332/1	0.065
346/2	0.020
388/2	0.073
113/9	0.020
146/5	0.008
331/1	0.041
298/3	0.057
329/3	0.036
113/3	0.020
326/1, 368/1	0.041
402/1	0.065
146/1	0.004
146/7	0.004
योग 122	4.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कलमा माइनर 1 एवं कलमा माइनर 2 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2019

क्रमांक 58/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.587 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
879/2	0.032
550/1	0.084
949/3	0.019
873/4	0.060
518/3	0.064
882/2	0.028
907/5	0.056
649/7	0.160

	(1)	(2)
	649/7	0.160
	933/2	0.008
	919/1	0.038
	550/10	0.030
	56/2	0.008
योग	12	0.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत छिछोर उमारिया वितरक नहर टिनमिनी माईनर एवं ठाकुरपाली माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्रमांक/14953A/34/अ–82/2014–15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–कोरबा
(ख) तहसील–कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम–कनबेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल–5.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
257, 262	0.09
263	0.01
261/1	0.13
543/2	0.08
547/1	0.12
261/2	0.12
547/3	0.13
527/3	0.09
527/4	0.09
527/5	0.09
527/6	0.08
536/1	0.10
543/1	0.65
545/1	0.12
545/5	0.13
539/1	0.04
545/2	0.08
540/1	0.10
547/2	0.06
534/1	0.23
547/6	0.06
533	0.63
547/4	0.06
534/4	0.36
535	0.40
537/2	0.05
538/2	0.02
539/2	0.04
540/2	0.09
541/1	0.23
536/2	0.07
537/1	0.05
538/1	0.02
545/4	0.09
531/1	0.08
531/6	0.07
531/7	0.08
531/8	0.07
545/3	0.08
547/5	0.07
527/2	0.34
योग 40	5.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 15 मार्च 2019

क्रमांक/767/अ-82/भू.-अ./अ.वि.अ./2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भरचट्टी, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
658	0.023
659	0.032
655	0.020
661	0.041
662	0.036
663	0.033
700	0.018
701/1	0.018
701/2	0.018
702	0.029
707	0.022
708/2	0.009
708/3	0.003
952	0.011
955	0.003
956	0.031
1010	0.064
1009/1	0.022
1009/2	0.022
957/3	0.006
957/6	0.022
957/9	0.018
958/1	0.023
958/2	0.023
1008/1	0.032
1008/2	0.032
959/4	0.035
1007	0.034
996	0.008
1004	0.030
997	0.013
998	0.011
999	0.023
1001	0.013
1002	0.033
1003	0.032
656	0.009
953	0.011
954	0.004
योग 39	0.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोढ़-रेवे-देवरबीजा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 मई 2019

क्रमांक 1/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-अमाली (डूबान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.866 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2243	0.445
2244	0.806
2246	2.595
2247	1.040
2250	0.008
2252	0.089
2242	0.502
2240/2	0.405
2241/1	0.296
2240/1	0.202
2241/2	0.296
2240/3	0.202
2239	0.656
2237/1	0.028
2237/2	0.405
2237/3	0.081
2237/4	0.053
2237/5	0.028
2237/6	0.028
2236	0.348
2235/1	0.101
2235/2	0.198
2235/3	0.097
2238	0.891
2220	0.227
2218/2	0.409
2221/1	0.559
2221/2	0.069
2223	0.530
2081/1	0.243
2224/1	0.247
2225/1	0.105
2226/1	0.186
2227/1	0.097
2224/2	0.247
2229/3	0.247
2225/2	0.105
2226/2	0.190
2227/2	0.093
2218/1	0.328
2081/2	0.182
योग 41	13.866

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक 03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-तखतपुर
(ग) नगर/ग्राम-सैदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.738 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.117
6/2	0.105
3/7	0.057
18/1	0.028
19/1	0.077
20/1	0.065
24/1	0.097
24/2	0.105
20/2	0.069
20/4	0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
28/1	0.012	179/1	0.061
20/5	0.012	174/1	0.036
25/2	0.109	179/2, 178/1	0.032
26/2	0.093	233/3	0.028
45/4	0.057	91/2	0.065
45/3	0.077	38/2	0.020
47/4	0.065	38/5	0.020
47/3	0.036	39/1	0.065
49/1	0.032	39/2	0.073
49/2	0.109	52/2	0.134
55	0.117	52/1	0.041
57	0.081	49/4	0.049
58/2	0.093	50/1	0.045
270/1	0.077	49/3	0.012
271/1	0.089	13/1	0.008
271/2	0.170	50/3	0.049
269/2	0.065	52/3	0.012
269/1	0.012	364/2	0.170
258/1	0.166	364/3	0.202
258/4	0.182	364/1	0.089
260/2	0.146	364/4	0.138
260/8	0.036	364/5	0.032
257/1	0.081	363/7	0.215
257/2	0.045	363/6	0.077
256	0.052	360/12	0.016
263/1	0.004	360/17	0.219
263/3	0.170	360/9	0.041
263/2	0.093	362/6	0.190
248/1	0.032	365/1	0.061
248/2	0.061	365/4	0.227
248/3	0.081	365/3	0.008
251/3	0.012	360/6	0.170
248/4	0.081	360/14	0.016
248/5	0.097	360/18, 360/20	0.332
243	0.186	360/5	0.324
244/3	0.057	360/2ख, 360/2ग	0.170
244/2	0.061	360/2क	0.182
244/1	0.045	365/6	0.239
244/4	0.024	365/7क, 367/7ख	0.259
242/1	0.020	365/14	0.341
182	0.036	365/24	0.121
248/6	0.065	379/1	0.028
181/1	0.032	362/5	0.049
179/4	0.134	351/4, 351/5	0.089
180	0.032	345/2ख, 345/2ग	0.101
179/5	0.069	345/3	0.227
179/3	0.085	337/1, 337/3	0.147
184	0.125		

(1)	(2)
327/2	0.073
322/8	0.202
365/15	0.352
365/13	0.194
365/21	0.138
365/18	0.300
365/17	0.194
379/4	0.069
365/2	0.194
364	0.150
362/1क	0.065
362/1ख	0.259
362/1ग	0.259
346/1	0.243
346/2	0.166
345/5	0.081
336/3, 336/4	0.287
336/1, 336/2	0.190
329/1	0.324
335/1	0.028
329/2	0.202
330/1	0.232
330/2	0.032
330/3	0.608
320/1	0.105
320/2	0.174
320/3	0.057
320/4	0.081
320/5	0.125
320/6	0.093
96/3	0.049
73	0.012
265/1, 265/2	0.041
269/1, 269/2	0.061
276	0.016
97/2	0.162
311/4	0.239
275/6	0.018
286/4	0.101
162	0.057
161	0.028
163	0.069
204/2	0.069
185/1	0.077
185/2	0.101
185/3	0.158
186	0.049
187/1	0.061
187/2	0.065
188	0.045
203/1	0.069
203/2, 203/3, 204/1	0.085
205	0.069
202	0.073
286/6	0.073
286/5	0.106
286/7	0.283
312/8	0.243
43	0.041
76/1	0.041
योग 178	17.738

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक 71/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/1	0.121

(1)	(2)
6/1	0.004
6/3	0.150
5/2	0.012
6/4	0.028
51	0.008
95/1	0.020
176/5	0.040
176/1	0.024
176/9	0.040
176/10	0.028
176/3	0.040
180/1	0.085
181/2	0.012
178	0.121
180/2	0.045
183/5, 183/3	0.129
221/5	0.040
221/3	0.028
220/4	0.020
219	0.024
220/2	0.077
220/3	0.020
220/1, 220/8	0.134
273/1	0.012
273/2	0.032
273/3	0.146
273/4	0.143
278	0.004
298/4	0.143
298/5	0.125
297/4	0.036
297/2	0.065
317	0.008
315	0.004
316	0.004
319/1	0.012
320	0.020
327	0.004
329	0.121
330/1	0.036
330/2	0.016
418	0.020
417/1	0.057
417/2	0.069
328	0.049
329/1	0.049
434/1	0.049
434/2	0.134
491/1	0.061
491/3	0.101
492	0.057
493/3	0.073
493/2	0.028
104	0.012
109/1	0.020
110/3	0.012
योग 59	2.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक 102/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बिलासपुर
- (ख) तहसील–तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम–छतौना (पुरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–2.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1077/3	0.008
1077/4	0.014
1077/5	0.008
1077/6	0.010
1077/7	0.012
1077/8	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
1077/9	0.016	1171/7	0.405
1077/10	0.016	377/3	0.081
1096/1	0.040	589/6क	0.214
1096/3	0.008	589/7	0.236
390/5	0.085	589/12	0.147
1077/15	0.020	1046/1	0.109
1077/11	0.010	431/3	0.065
1077/12	0.016	1078/29	0.061
1077/13	0.012	1046/3	0.053
1077/14	0.065		
1077/16	0.011	योग 34	2.259
1077/17	0.015		
1077/18	0.030		
388/2	0.162		
438/2	0.077		
1076/1	0.202		
1077/19	0.012		
1077/20	0.015		
1077/21	0.012		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन

इंद्रावती भवन, ब्लॉक–एक प्रथम तल अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रमांक/8884/एस.ए.एस./स्था/6/2019.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग पर चयनित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अधीनस्थ लेखा सेवा भाग–1 एवं भाग–2 की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदनाम/नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री देवेन्द्र कुमार	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	उप कोषालय अधिकारी, उपकोषालय कसडोल जिला बलौदाबाजार.
2.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहा. आंत. लेखा परीक्षण अधिकारी, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर.
3.	कु. ममता एक्का	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	उप कोषालय अधिकारी, उपकोषालय सीतापुर जिला अंबिकापुर
4.	श्री नरेन्द्र सिंह नाग	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक कोषालय अधिकारी, जिलाकोषालय बीजापुर, बस्तर.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	कु. अर्चना भगत	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	उप कोषालय अधिकारी, उपकोषालय बगीचा, जिला जशपुर.
6.	श्री अमृत सिंह कंवर	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	कनिष्ठ लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, रायपुर.
7.	श्री आशीष कुमार गौतम	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर.
8.	श्री विक्रांत सिंह परिहार	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक लेखाधिकारी, संचालनालय लोक शिक्षण, इन्द्रावती भवन, रायपुर.
9.	कु. हितेश्वरी यादव	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक लेखाधिकारी, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, रायपुर.
10.	श्री प्रशांत कुमार जायसवाल	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कबीरधाम.
11.	श्री सनत कुमार बंजारे	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	कनिष्ठ लेखाधिकारी, उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव.
12.	श्री सोमेश सोरी	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	उप कोषालय अधिकारी, उपकोषालय पंखाजूर जिला कांकेर (उ.ब.).
13.	डॉ. (श्रीमती) विनीता तिवारी	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक लेखाधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, इन्द्रावती भवन, रायपुर.
14.	कु. रितु कोलियारा	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दंतेवाड़ा.
15.	श्री राकेश चौधरी	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	उप कोषालय अधिकारी, उपकोषालय सक्ती जिला जांजगीर-चांपा.
16.	कु. जया गोस्वामी	संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, अटल नगर, रायपुर.	कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर.

उपरोक्त अधिकारियों के परिवीक्षावधि समाप्ति के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा.

हस्ता./-
संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 15 मार्च 2019

क्रमांक 2109/ज्ये.लि.1/2019.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, अन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभवना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये मैं जय प्रकाश मौर्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिये छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दष्ट अधिकारियों अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

जय प्रकाश मौर्य,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर

क्रमांक 6348/अका./लेखा/17/2018-19 रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2019

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, संधारण निधि, नियम 2018

1. **संक्षिप्त नाम, प्रभावशीलता तथा आरंभ :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी संधारण निधि, नियम 2018" होगा.

   (2) यह नियम छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
   (क) "प्रशासन अकादमी" से तात्पर्य छ.ग. प्रशासन अकादमी वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान निमोरा, रायपुर से है,
   (ख) "महानिदेशक" से तात्पर्य प्रशासन अकादमी के महानिदेशक से है,
   (ग) "संचालक" से तात्पर्य प्रशासन अकादमी के संचालक से है,
   (घ) "कार्यालय प्रमुख" से तात्पर्य प्रशासन अकादमी के ऐसे अधिकारी से है जिसे कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो,
   (ङ) "आहरण एवं संवितरण अधिकारी" से तात्पर्य प्रशासन अकादमी के ऐसे अधिकारी से है जिसे आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया हो,

(च) "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" से तात्पर्य प्रशासन अकादमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से है,

(छ) "संधारण निधि" से तात्पर्य इन नियमों में विहित नियम-3 में उल्लेखित निधि से है,

(ज) "संधारण खाते" से तात्पर्य अकादमी को रख-रखाव एवं संधारण मद में प्राप्त राशि हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते से है,

(झ) "बैंक" से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक से है जहां प्रशासन अकादमी का खाता संधारित किया जायेगा.

3. **संधारण निधि :—**

(1) प्रशासन अकादमी की संधारण निधि निम्नांकित से मिलकर बनेगी :—

(क) भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाओं से प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन, अनुसंधान तथा परियोजना के लिये प्रशासन अकादमी को प्राप्त राशि,

(ख) प्रशासन अकादमी की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं, व्यक्तियों से प्राप्त रख-रखाव एवं संधारण मद की राशि,

(ग) निधि के बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज की राशि,

(घ) अकादमी को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि,

(2) प्रशासन अकादमी को राज्य शासन से वार्षिक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि संधारण निधि का हिस्सा नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :— प्रशासन अकादमी द्वारा लिये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप ली जाने वाली रख-रखाव एवं संधारण मद की दरों का निर्धारण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाएगा.

4. **संधारण निधि का खाता :—** अकादमी की संधारण निधि को संचालक, प्रशासन अकादमी के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बैंक खाते में रखा जाएगा.

5. **संधारण निधि का उपयोग :—** प्रशासन अकादमी में अधोसंरचना के विकास, रखरखाव-संधारण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आवश्यक उपकरण-सामग्रियों के क्रय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित अन्य अत्यावश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये किया जा सकेगा.

6. **संधारण निधि से व्यय की स्वीकृति :—**

(1) व्यय की स्वीकृति हेतु प्रशासन अकादमी के संचालक/महानिदेशक वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की सीमा तक अधिकृत होंगे.

(2) संचालक/महानिदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों से अधिक की स्वीकृति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन से की जा सकेगी.

7. **संधारण निधि का लेखा परीक्षण :—**

(1) प्रशासन अकादमी द्वारा संधारण निधि का पृथक लेखा रखा जाएगा तथा इसका सामयिक आडिट छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराया जाएगा.

(2) संधारण निधि का वार्षिक लेखा एवं आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष अगले वर्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी.

8. **विविध :—**

(1) इन नियमों के निर्वचन (interpretation) के संबंध में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का निर्णय अंतिम होगा.

(2) इन नियमों में परिवर्तन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनुमति से किया जा सकेगा.

आलोक अवस्थी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 15/L.G./2019/II-3-43/2007.—Shri Rajendra Pradhan, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 02 days on 21-12-2018 & 22-12-2018 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 18-12-2018 to 23-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 263 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 16/L.G./2019/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 17-12-2018 to 21-12-2018 along with permission to remain out of headquarters from 15-12-2018 to 21-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 17/L.G./2019/II-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, Judge Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 28-01-2019 to 02-02-2019 along with permission to remain out of headquarters from 27-01-2019 to 03-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 18/L.G./2019/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 02 days on 24-12-2018 & 25-12-2018 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 24-12-2018 & 30-12-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 19/L.G./2019/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, Judge Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 05 days from 30-12-2018 to 03-01-2019 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 89 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 20/L.G./2019/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 09 days from 24-12-2018 to 01-01-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 21/L.G./2019/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 24-12-2018 to 29-12-2018 along with permission to remain out of headquarters after working hours of 22-12-2018 till 30-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 293 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 22/L.G./2019/II-2-24/2015.—Shri Venseslas Toppo, Additional Registrar (Classification), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 day on 24-11-2018 and earned leave for 04 days from 21-12-2018 to 24-12-2018 along with permission to leave headquarters from 21-12-2018 to 31-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 97 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 23/L.G./2019/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 14 days from 24-11-2018 to 07-12-2018 along with permission to remain out of headquarters from 24-12-2018 to 09-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 184 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 24/L.G./2019/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav Special Judge, under SC & ST (P.A.) Act, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 29-12-2018 to 02-01-2019 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2018 to 02-01-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 293 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 25/L.G./2019/II-3-27/2014.—Shri Jitendra Kumar, Judge, Family Court, Kanker is hereby, granted earned leave for 06 days from 19-11-2018 to 24-11-2018 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 16-11-2018 till before the Court hours of 26-11-2018 and earned leave for 02 days from 30-11-2018 to 01-12-2018 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 29-11-2018 till before the Court hours of 03-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jitendra Kumar had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th February 2019

No. 26/L.G./2019/II-3-3/2007.—Shri Onkar Prasad Gupta, District & Sessions Judge, Kondagaon is hereby, granted commuted leave for 13 days from 19-11-2018 to 01-12-2018 along with permission to leave headquarters 19-11-2018 to 02-12-2018 and commuted leave for 04 days from 17-12-2018 to 20-12-2018 along with permission to leave headquarters.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 373 days of halp-pay leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)